बाबूलाल V/s घनश्यामराम

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश 12/2016	आदेश संख्या
03/11/21	वकील वादी उपस्थ वकील वादी को प्रति वादी सं. 1 से 3 की तलबी हेतु हार्ड-2 समय दिया जाता रहे है। बावजूद पर्याप्त समय दिये जाने पर भी न्यायालय आदेशक की पालना नहीं हुई है। अतः वाद को चलाने की जिम्मेदारी वकील वादी की है। बावजूद पर्याप्त अवसर के प्रति वादीगण की तरफ से वकील उपस्थ में समय नहीं रहे है। अतः वादी का वाद आदेश 09 नियम- 5 CPC के तात्पर्य के तहत खारिज किया जाता है। बजावली अपने खर्चा से कम होवा दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर